Remove Watermark Wondershare PDFelement

Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में पुलिस थाना शिप्रापथ का हैड कानिस्टेबल उसके दलाल सहित 24 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *04 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.आई.यू. इकाई, जयपुर द्वारा आज शनिवार को कार्यवाही करते हुये मानसिंह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना शिप्रापथ, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर शहर दक्षिण को उसके दलाल अरविन्द विजयवर्गीय (प्राईवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 24 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.आई.यू. इकाई, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके लड़के के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में राहत देने एवं गिरफ्तार नहीं करने की एवज में मानसिंह हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा उसके दलाल अरविन्द विजयवर्गीय (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 30 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी एस.आई.यू. इकाई, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री कमल नयन** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल अरविन्द विजयवर्गीय पुत्र श्री दुर्गालाल निवासी 118, उम का रास्ता, ताखोली, पुलिस थाना सदर जिला टोंक हाल निवासी 113/155, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **24 हजार रुपये रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रकरण में मानसिंह पुत्र स्व. श्री बालाराम गुर्जर निवासी ग्राम पोस्ट नागलांता, तहसील बानसूर, पुलिस थाना हरसौरा, जिला अवलर हाल निवासी 38, शिवविहार कॉलोरी, गोकुलपुरा फाटक के पास, थाना करधनी, जयपुर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना शिप्रापथ, जयपुर पुलिस आयुक्तालय को भी गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं **Whatsapp हैल्पलाईन** नं.* 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।